संख्या-636/2023/3627/41-2023-C.N.1661452-237-Budget-2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषय:-पर्यटन नीति-2022 के अन्तर्गत पी0एम0ए0, सी0ए0 एवं अन्य सेवाओं का भुगतान पर्यटन नीति मद में आवंटित धनराशि के 05 प्रतिशत से किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2900/15-1-1773/नीति/2023, दिनांक 03.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 पर्यटन नीति 2022 के अन्तर्गत अनुदान, छूट, सब्सिडी एवं वित्तीय प्रोत्साहनों को उद्यमियों को उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80- सामान्य-800- अन्य व्यय-14 पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन - 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि का 05 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय में उपयोग किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80- सामान्य-800- अन्य व्यय-14 पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन - 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख का 05 प्रतिशत धनराशि रू0 225.00 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को आपके के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों व नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001400 पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-164-X-2023-24, दिनांक- 18.09.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र 0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा परीक्षा), उ0प्र 0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in